[ 2022 ] 3 एस. सी. आर. 716

दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड

वी.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम

( 2022 की सिविल अपील संख्या 3657)

05 मई, 2022

[ एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 31 ( 7 ) ( क)-इसके तहत राशि का पुरस्कार, यदि ब्याज सहित हो तो-आयोजितः विधायी इरादे एस। 31 ( 7 ) ( क) स्पष्ट है कि ब्याज देने के संबंध में विवेकाधिकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण को तभी उपलब्ध होगा जब

पार्टियों के बीच इसके विपरीत कोई समझौता नहीं है-वाक्यांश "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि जब पार्टियां किसी भी पहलू के संबंध में सहमत हों। धारा 31 (7) (क), न्यायाधिकरण को उक्त प्रावधान में उल्लिखित पहलुओं के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा-केवल इस तरह के समझौते के अभाव में, न्यायाधिकरण को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का विवेकाधिकार होगा। धारा 31 (7) (ए)-यह ब्याज दे सकता है या नहीं दे सकता है-यह पूरी अवधि या किसी भी भाग के लिए ब्याज दे सकता है।

1996 का अधिनियम स्वयं दल की स्वायत्तता पर जोर देता है-तथ्यों पर,

पक्षों के बीच विशिष्ट समझौते को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कार की तारीख से पहले और बाद में ब्याज रियायत समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाएगा-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पक्षों के बीच विशिष्ट समझौते को सही ढंग से लागू किया और एक रद्द दर-ब्याज पर ब्याज दिया।

क़ानूनों की व्याख्याः निर्माण-आयोजितः प्रावधान में उल्लिखित प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्यांश

इन कानूनों को प्रभावी बनाना होगा जिनका अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो।

निर्णय/आदेशः - आयोजित की व्याख्याः प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या उन अभिव्यक्तियों की व्यापकता के रूप में साबित माना जाना चाहिए जो पाए जाते हैं।

पूरे कानून की व्याख्या करने का इरादा नहीं माना जा सकता है उन्हें द्वारा शासित और योग्य होना होगा

उस मामले के विशेष तथ्य जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) से देखा जा सकता है।

1.2 तत्काल मामले में, "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्दों का महत्व होगा। यदि उपखंड (क) 1996 के अधिनियम की धारा 31 की धारा (7) को एक स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया गया है, विधायी आशय स्पष्ट होगा कि ब्याज देने के संबंध में विवेकाधिकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को केवल तभी उपलब्ध होगा जब पक्षों के बीच इसके विपरीत कोई समझौता नहीं होगा। वाक्यांश "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि जब पक्ष इसके तहत शामिल किसी भी पहलू के संबंध में सहमत हो जाते हैं।

1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कोई विवेकाधिकार नहीं होगा।

उक्त प्रावधान में उल्लिखित पहलुओं के लिए। केवल इस तरह के समझौते के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास होगा 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का विवेकाधिकार। विवेक काफी व्यापक है। यह ब्याज दे सकता है या नहीं दे सकता है। यह पूरी अवधि या उसके किसी भी हिस्से के लिए ब्याज दे सकता है। यह पैसे के पूरे या किसी भी हिस्से पर ब्याज भी दे सकता है। यदि अपीलार्थी की ओर से उठाए गए विवाद-डी. ए. एम. ई. पी. एल. को स्वीकार किया जाना है, तो "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश का अनुवाद [2022] 3 एस. सी. आर. किया जाएगा।

अनावश्यक और ऑटियोज हो जाएगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रावधान में उल्लिखित प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्यांश को प्रभावी बनाना होगा। क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो। [ पैरा 16,18,19,21] [728-एफ; 729-ई-जी, जी-एच; 730-एफ-जी]

1.3 1996 का अधिनियम स्वयं पार्टी की स्वायत्तता पर जोर देता है। के रूप में

इस प्रकार, विधायी आशय स्पष्ट है कि जब पक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) में उल्लिखित किसी भी पहलू पर इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कोई विवेकाधिकार नहीं होगा और पक्षों के बीच एक समझौते से बाध्य। ऐसी किसी भी व्याख्या से बचना होगा जो वाक्यांश को "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो" या अनावश्यक बना दे। यदि अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या-डी. ए. एम. ई. पी. एल. को स्वीकार किया जाना है, तो "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" में बदल दिया जाएगा। इस तरह की व्याख्या पूरी तरह से अस्वीकार्य होगी। [ पैरा 22

24 ] [ 730 - जी-एच; 731-ए, एफ-जी]

1.4 रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 के अनुसार,

रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा की जा रही मांग के तीस दिनों के भीतर डी. एम. आर. सी. द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को समाप्ति भुगतान देय और देय हो जाएगा। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि डी. एम. आर. सी. 30 दिनों के भीतर पूर्ण समाप्ति भुगतान का वितरण करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि को एस. बी. आई. पी. एल. आर. की वार्षिक दर पर ब्याज के साथ वितरित किया जाएगा और ऐसी राशि पर देरी की अवधि के लिए दो प्रतिशत दिया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रियायत समझौते का अनुच्छेद 29.8 समाप्ति भुगतान राशि पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने रियायत समझौते का सही अर्थ निकालते हुए निर्देश दिया है। समाप्ति भुगतान रियायत के प्रावधानों के अनुसार होगा।

समझौता और समाप्ति भुगतान पर ब्याज 7 अगस्त, 2013 (यानी 8 जुलाई, 2013 को अपीलार्थी द्वारा समाप्ति भुगतान की मांग के 30 दिन बाद की तारीख) से जमा होगा। यद्यपि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया है कि अपीलार्थी द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की दरें एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत से कम हैं, लेकिन उसने पाया है कि रियायत समझौते के प्रावधानों को बदलना या बदलना या संशोधित करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता से परे था।

इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड v है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम

एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज दिया गया, हालांकि यह पाया गया था कि जिस ब्याज दर पर अपीलार्थी द्वारा ऋण लिया गया था, वह कम था। इस प्रकार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों के बीच विशिष्ट समझौते को उचित रूप से लागू किया है।

ब्याज दर के संबंध में पक्षकार। मध्यस्थता पुरस्कार में निहित प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) का खंड (ए) और विशेष रूप से, वाक्यांश के अनुरूप "जब तक कि अन्यथा न हो

पक्षों द्वारा सहमत "। [ पैरा 26-28] [732-C-E; 733-C-F]

पुरस्कार रियायत के अनुच्छेद 29.8 द्वारा शासित होगा। समझौता, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष 2021 की सिविल अपील No.5627 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को देखते हुए अंतिमता पर पहुंच गए हैं। इस प्रकार, कोई त्रुटि नहीं है

में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की टिप्पणियाँ निष्पादन याचिका में विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया। [ पैरा 35,36] [735-बी-डी]

हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम। राज्यपाल, राज्य उड़ीसा मुख्य अभियंता (2015) 2 एस. सी. सी. 189 के माध्यम से:

[ 2014 ] 14 एससीआर 1029-प्रतिष्ठित।

एन. एस. नायक एंड संस बनाम गोवा राज्य (2003) 6 एससीसी 56: [ 2003 ] 1 पूरक। एस. सी. आर. 69; श्री कामची अम्मन

निर्माण बनाम मंडल रेल प्रबंधक (कार्य),

पालघाट और अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 767: [ 2010 ] 10 एस. सी. आर. 487; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 424: [ 1987 ] 2 एस. सी. आर. 1; हार्डीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य

और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 92: [ 2014 ] 2 एससीआर 1; संघ [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत और अन्य बनाम। धनवंती देवी और अन्य ( 1996 ) 6 एससीसी 44: [ 1996 ] 5 पूरक। एससीआर 32; द

क्षेत्रीय प्रबंधक और एक अन्य वी। पवन कुमार दुबे ( 1976 ) 3 एससीसी 334: [ 1976 ] 3 एस. सी. आर. 540-- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2003 ] 1 पूरक। एससीआर 69

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[ 2010 ] 10 एससीआर 487

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[ 1987 ] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[ 2014 ] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[ 2014 ] 14 एससीआर 1029

पारस

25,29,34

प्रतिष्ठित

[ 1996 ] 5 पूरक। एससीआर 32

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3657

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 10.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कॉम.) 2021 का सं. 145।

हरीश एन. साल्वे, जे. जे. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल,

सुश्री मेघा मेहता, Ms.Niyati कोहली, निशांत राव, एस. साहिल रेड्डी, प्राणजीत भट्टाचार्य, सुश्री मानवी अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पराग पी. त्रिपाठी, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तरुण जौहरी, अंकुर

गुप्ता, विश्वजीत त्यागी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गयाः

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत दी गई "राशि" में लंबित ब्याज शामिल होगा या नहीं?

3. वर्तमान मामले में निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैंः

" डी. ए. एम. ई. पी. एल.) और प्रतिवादी-दिल्ली मेट्रो रेल निगम (इसके बाद "डी. एम. आर. सी". के रूप में संदर्भित)। रियायत समझौते के अनुसार, प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. को सिविल कार्यों को पूरा करना था (को छोड़कर) डिपो) और शेष कार्य (डिपो सिविल कार्य और परियोजना प्रणाली कार्य सहित) अपीलार्थी डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा निष्पादित किए जाने थे। रियायत समझौते के अनुच्छेद 29 के अनुसार, समाप्ति की स्थिति में, यह प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. था, जो समाप्ति भुगतान (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित किया गया है) करने के लिए उत्तरदायी था।

5. परियोजना के संचालन के दौरान, अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. और प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। द. अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने रियायत समझौते को समाप्त कर दिया

समाप्ति सूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2012। प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. ने 23 अक्टूबर, 2012 को रियायत समझौते के अनुच्छेद 36.2 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा। 11 मई, 2017 को एक मध्यस्थ पुरस्कार पारित किया गया। 12 मई, 2017 को, अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने पुरस्कार पर रु. 4,72,20,000/- का स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया। कुछ अंतरिम आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्वर्ती कार्यवाही में भी पारित किए गए थे। चूंकि प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. पुरस्कार से व्यथित था, इसलिए उसने 11 मई, 2017 के मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जो 2017 का ओ. एम. पी. (सी. ओ. एम. एम.) No.307 था। 6 मार्च, 2018 के फैसले और आदेश के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा और 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. की याचिका को खारिज कर दिया। 6 मार्च, 2018 के उक्त निर्णय और आदेश को प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. द्वारा डिवीजन के समक्ष चुनौती दी गई।

अपील के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ 2018 की एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) संख्या 58 है। उक्त अपील को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 15 जनवरी, 2019 के फैसले और आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष 2021 की सिविल अपील No.5627 [2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.4115 से उत्पन्न] को प्राथमिकता दी। उक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा 9 तारीख के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई। सितंबर, 2021, जिसके माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 15 जनवरी, 2019 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने इसके तुरंत बाद एक याचिका दायर की

निष्पादन याचिका ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा पारित 11 मई, 2017 के माध्यस्थम निर्णय को लागू करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 12 सितंबर, 2021 को 2021 की सं. 145। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर उक्त कार्यवाही में विभिन्न आदेश पारित किए गए। 10 मार्च, 2022 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए:

प्रत्यर्थी द्वारा किया जाने वाला भुगतान-पुरस्कार की संतुष्टि के लिए डी. एम. आर. सी.। विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से, केनरा बैंक और यूनियन द्वारा दायर अभियोग के लिए आवेदन

7. हमने अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे और प्रतिवादी-डी. एम. आर. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराग पी. त्रिपाठी को सुना है। 8. श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते हैं कि मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय के बहुमत निर्णय में

हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल ने मुख्य अभियंता 1 के माध्यम से स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) और (बी) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि जिस राशि के लिए अधिनिर्णय किया जाता है, उसमें अधिनिर्णय से पहले की अवधि के लिए ब्याज शामिल किया जा सकता है और यह कि अधिनिर्णय के बाद की अवधि के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली ऐसी राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा सकता है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत राशि में रुपये का समावेश भुगतान शामिल होगा। 2782.33 करोड़ रुपये और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक दी गई ब्याज की राशि। इस प्रकार, अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. का यह तर्क है कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) में निर्दिष्ट राशि एक राशि होगी।

रु. से। 4662.59 करोड़। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राशि, जो रु। 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के सही निर्माण पर, इसलिए निर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को वहन करेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उपरोक्त व्याख्या ही एकमात्र तार्किक व्याख्या है। वह प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय ने, इसलिए, अपीलार्थी डी. ए. एम. ई. पी. एल. के दावे को खारिज करने में गलती की है, जिसमें ब्याज विचाराधीन राशि को जोड़ा गया है।

1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत आने वाली राशि।

9. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराग पी. त्रिपाठी प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने इस दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. वे प्रस्तुत करते हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) का खंड (ए) स्वयं इस वाक्यांश से शुरू होता है "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो"। वह प्रस्तुत करता है कि ब्याज के भुगतान के संबंध में रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 के तहत पक्षों के बीच एक विशिष्ट समझौता है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि पक्षों के बीच एक समझौता है कि ब्याज कैसे दिया जाएगा और चूंकि यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समझौते के अनुसार दिया गया है, इसलिए हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का बहुमत निर्णय।

अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. के मामले में कोई सहायता नहीं होगी। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए।

10. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, वर्तमान अपील पर उपखंड (ए) की व्याख्या के संकीर्ण दायरे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। 1996 के अधिनियम की धारा 31 की धारा (7)।

11. श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील, हैदर के मामले में इस न्यायालय के बहुमत के फैसले पर भरोसा करना उचित है। कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (ऊपर)। एस. ए. बोबडे, जे. ने उक्त मामले में अपने फैसले में इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 2. एस. एल. अरोड़ा मामले में निष्कर्ष से सहमत होना संभव नहीं है [हरियाणा राज्य बनाम। एस. एल. अरोड़ा एंड कंपनी, (2010) 3 एस. सी. सी.

690 ( 2010 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 823] कि अधिनियम की धारा 31 (7) में उस ब्याज की आवश्यकता नहीं है जो अधिनिर्णय की तारीख तक उपार्जित होता है।

गणना के लिए पुरस्कार की तारीख से "राशि" में शामिल किया जाए

पुरस्कार के बाद का ब्याज। मेरे विनम्र विचार में, यह निष्कर्ष अनुभाग की स्पष्ट भाषा के अनुरूप नहीं लगता है। 31 ( 7 ) अधिनियम से।

3. अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7), जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की ब्याज देने की शक्ति से संबंधित है, निम्नानुसार हैः

" 31. ( 7 ) ( क) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहाँ और

मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस राशि को शामिल कर सकता है जिसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। उस दर पर ब्याज दिया जाता है जो उसे उचित लगे।

पैसे का पूरा या कोई भी हिस्सा, पूरे या किसी भी हिस्से के लिए

कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के बीच की अवधि

और वह तिथि जिस पर पुरस्कार दिया जाता है।

( बी) एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि, जब तक कि

पुरस्कार अन्यथा निर्देशित करता है, अठारह की दर से ब्याज लेता है पुरस्कार की तारीख से लेकर तारीख तक प्रति वर्ष प्रति प्रतिशत

भुगतान "।

( जोर दिया गया)

4. उप-धारा (7) के खंड (ए) में प्रावधान है कि जहां धन के भुगतान के लिए कोई अधिनिर्णय किया जाता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस राशि में ब्याज शामिल कर सकता है जिसके लिए अधिनिर्णय किया जाता है। सीधे शब्दों में, यह प्रावधान मध्यस्थ न्यायाधिकरण को धन के भुगतान के लिए निर्णय देते समय उस राशि में ब्याज शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके लिए पुरस्कार पूरे या किसी भी हिस्से पर दिया जाता है।

"राशि" शब्द के "मूलधन" की तरह, और इसलिए, यहाँ "राशि" शब्द का सरल अर्थ है "धन की एक विशेष राशि"। खंड में 31 ( 7 ) , इस विशेष राशि में कार्रवाई की तारीख से लेकर पुरस्कार की तारीख तक का ब्याज शामिल हो सकता है।

ए. एल. एच. आई. एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड v. दिल्ली मेट्रो रेल निगम [बी. आर. गवई, जे.]

5. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी "सम" शब्द का निम्नलिखित अर्थ देती है:

योग, 'यदि संज्ञा'। - एक विशेष राशि।

योग, 'यदि क्रिया'। दो या दो से अधिक संख्याओं, राशियों या वस्तुओं के जोड़ के परिणामस्वरूप कुल राशि।

6. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "सम" शब्द का निम्नलिखित अर्थ दिया गया है:

उपयोग किया जाने वाला 'पैसा' है; धन या मुद्रा की मात्रा; कोई भी राशि अनिश्चित काल के लिए, धन की राशि, एक छोटी राशि, या एक बड़ी राशि। राशि। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। वान ऑकेन [24 एल एड 852: 96 यूएस 366 (1878)] और डोनोवन बनाम। जेनकिंस [52 मोंट 124: 155 पी 972 पर

पी। 973 ] . "

8. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) में, सबसे पहले, खंड (ए) के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण धन के भुगतान के लिए अधिनिर्णय देते समय उस राशि में ब्याज शामिल कर सकता है जिसके लिए - पुरस्कार दिया जाता है और खंड (ख) के अनुसार यह भी कि पुरस्कार द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली राशि पर पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज लगेगा।

9. इस प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट है, अर्थात्, प्रदत्त राशि के शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करना और सामान्य देरी को हतोत्साहित करना, जो पुरस्कार के निष्पादन के साथ उसी तरह से होता है जैसे कि यह धारा के अनुसार अदालत का एक फरमान था।

36 अधिनियम से। 10. मामले के इस दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (बी) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि, विचाराधीन ब्याज सहित है।

11. इस मोड़ पर, सी. पी. सी. की धारा 34 का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है, जिसे संसद द्वारा भी अधिनियमित किया गया है और जिसे वही शक्ति प्रदान की गई है।

एक पुरस्कार पर ब्याज देने के लिए एक अदालत अर्थात पुरस्कार के बाद का ब्याज। सी. पी. सी. की धारा 34 को अधिनियमित करते समय संसद ने एक अदालत को "मूल राशि पर ब्याज का आदेश देने की शक्ति प्रदान की, न कि केवल मध्यस्थता अधिनियम में प्रदान की गई" राशि "पर। धारा 31 (7) में धारा 34 सी. पी. सी. की भाषा से विचलन

1996 का अधिनियम महत्वपूर्ण है और संसद के इरादे को दर्शाता है। 12. यह तय किया गया कानून है कि जहां संसद द्वारा अलग-अलग भाषा का उपयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य एक अलग प्रभाव डालना है। में

मध्यस्थता अधिनियम, "राशि" शब्द को जानबूझकर इसके पहले "मूलधन" शब्द का उपयोग करके योग्य नहीं बनाया गया है। यदि इसका इस तरह से उपयोग किया जाता, तो इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती कि "राशि" शब्द में "ब्याज" शामिल हो सकता है। अधिनियम की धारा 31 (7) में, संसद ने जानबूझकर "राशि" शब्द का उपयोग मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों के कुल को संदर्भित करने के लिए किया है, न कि केवल इसके बिना "मूलधन" राशि का। ब्याज।

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के अनुसार, संसद का इरादा था कि

मध्यस्थ न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (बी) के अनुसार अधिनिर्णय के बाद की अवधि के लिए ऐसी "राशि" पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, जिस स्तर पर राशि मूलधन के साथ ब्याज के विलय के बाद प्राप्त राशि होगी; घटक अपनी अलग पहचान खो चुके हैं।

14. वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जहां उप-धारा (7) खंड (ए) और (बी) की भाषा इतनी स्पष्ट और असंदिग्ध है कि वैधानिक प्रावधान के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भाषा स्वयं यह प्रावधान करती है कि जिस राशि के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उसमें पुरस्कार से पहले की अवधि के लिए ब्याज शामिल किया जा सकता है और पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली ऐसी राशि पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा सकता है।

12. अभय मनोहर सप्रे, जे. ने हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में अपने सहमति वाले फैसले में भी एस. ए. बोबडे, जे. 13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का बहुमत का दृष्टिकोण यह है कि

14. 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) पहले से ही हैदर के मामले में एस. ए. बोबडे, जे. के फैसले में पुनः प्रस्तुत की गई है। कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (ऊपर)। विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा की सरल व्याख्या के सिद्धांत को लागू करते हुए, 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के विश्लेषण पर जो स्थिति उत्पन्न होगी, वह इस प्रकार हैः

( i) यह इन शब्दों से शुरू होता है "जब तक कि अन्यथा सहमत न हो।

"; [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ और जहाँ तक एक मध्यस्थ पुरस्कार के भुगतान के लिए है

धन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में ब्याज घटक शामिल हो सकता है

उस राशि में जिसके लिए पुरस्कार दिया जाता है;

( (ग) ब्याज उस दर पर हो सकता है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण समझता है।

उचित;

( (iv) ब्याज धन के पूरे या किसी भी हिस्से पर हो सकता है।

( v) ब्याज अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए हो सकता है।

उस तारीख के बीच जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और

जिस तारीख को पुरस्कार दिया जाता है।

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वह भाग जो शक्ति से संबंधित है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण का ब्याज देने के लिए, यदि यह नहीं है तो काम करेगा अन्यथा पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। यदि पक्षकारों के बीच इसके विपरीत कोई समझौता होता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ब्याज देने का अपना विवेकाधिकार खो देगा और पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा निर्देशित होना होगा। प्रावधान स्पष्ट है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है। ब्याज देने या न देने का विवेकाधिकार है। इसके अलावा उसके पास ऐसी दर पर ब्याज देने का विवेकाधिकार है जो उसे उचित लगे। इसके अलावा उसके पास धन के पूरे या किसी भी हिस्से पर ब्याज देने का विवेकाधिकार है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख और निर्णय दिए जाने की तारीख के बीच की पूरी अवधि के लिए ब्याज प्रदान करे। यह पूरी अवधि या उसके किसी भी हिस्से के लिए ब्याज दे सकता है या कोई ब्याज नहीं दे सकता है।

16. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, शब्द "जब तक कि अन्यथा नहीं।

पक्षों द्वारा सहमत होना महत्वपूर्ण होगा। उक्त शब्द एन. एस. नायक एंड संस बनाम के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े। गोवा राज्य 2. उक्त मामले में इस न्यायालय के पास 1996 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश के दायरे पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 14. ..... वाक्यांश 'जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो' का उपयोग किया जाता है

विभिन्न धाराओं, अर्थात् 17,21,23 (3), 24 (1), 25,26,29,31,85 (2) (ए), आदि में यह इंगित करता है कि पक्षकारों के लिए सहमत होना खुला है। अन्यथा। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अधिकार दिया जाता है

पार्टियों को अपनी प्रक्रिया खुद तय करनी है। तो अगर कोई समझौता है

पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पक्षों के बीच मध्यस्थ द्वारा, मध्यस्थ को उक्त का पालन करना आवश्यक है

प्रक्रिया। कारण यह है कि मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षों के बीच अनुबंध के आधार पर की जाती है और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है।

अनुबंध। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपील में पक्षकार यह तर्क दे सकते हैं कि अपीलीय प्रक्रिया उनके अनुसार होनी चाहिए।

समझौता "।

17. श्री कामची अम्मन के मामले में यह अदालत

1996 की धारा 31 की उप-धारा (7) में विधायिका द्वारा नियोजित। एक्ट करें। उक्त मामले में आर. वी. रवींद्रन, जे. ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 19. नए अधिनियम की धारा 31 (7) 'जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए' शब्दों का उपयोग करके स्पष्ट करती है कि मध्यस्थ कार्रवाई के कारण की तारीख से लेकर निर्णय की तारीख तक ब्याज के पुरस्कार के रूप में अनुबंध की शर्तों से बाध्य है। इसलिए, जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ब्याज नहीं दे सकता है कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से पुरस्कार की तारीख के बीच।

18. यदि 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) को एक स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया जाता है, तो विधायी इरादा स्पष्ट होगा।

कि ब्याज देने के संबंध में विवेकाधिकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को केवल तभी उपलब्ध होगा जब इसके विपरीत कोई समझौता न हो।

दलों के बीच। वाक्यांश "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि जब पक्ष इस संबंध में सहमत हो गए हैं

1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत आने वाले किसी भी पहलू पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

उक्त प्रावधान में उल्लिखित पहलुओं के संबंध में विवेकाधिकार। केवल ऐसे समझौते के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का विवेकाधिकार होगा। विवेक काफी व्यापक है। यह ब्याज दे सकता है या नहीं दे सकता है। यह पूरी अवधि या उसके किसी भी हिस्से के लिए ब्याज दे सकता है। यह पैसे के पूरे या किसी भी हिस्से पर ब्याज भी दे सकता है।

19. यदि अपीलार्थी की ओर से उठाए गए विवाद-डी. ए. एम. ई. पी. एल. को स्वीकार किया जाना है, तो वाक्यांश "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो" अनावश्यक बना दिया जाएगा और अस्थिर हो जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगा।

वित्त और निवेश कंपनी लिमिटेड और अन्यः

" 33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है। एक क़ानून सबसे अच्छा है

व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था। इसके साथ

ज्ञान, क़ानून को पहले समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और फिर

खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने की तुलना में अलग दिखाई दे सकते हैं। इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यह पूरे अधिनियम की योजना में फिट बैठता है। कानून के किसी भी हिस्से और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं लिया जा सकता है। क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो। यह परिभाषा को एक के रूप में देखकर है

संपूर्ण अधिनियम की स्थापना में और अधिनियम से पहले क्या था और इसके कारणों के संदर्भ में कि न्यायालय श्रीनिवास [(1980) 4 एस. सी. सी. 507 में "प्राइज चिट" अभिव्यक्ति का अर्थ निकाला गयाः ( 1981 ) 1 एससीआर 801: 51 कॉम कैस 464] और हमें कोई कारण नहीं मिलता है

न्यायालय के निर्माण से प्रस्थान करने के लिए "।

21. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रावधान में उल्लिखित प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्यांश को प्रभावी बनाना होगा।

क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो।

22. एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि 1996 का अधिनियम स्वयं पार्टी की स्वायत्तता पर जोर देता है। इस प्रकार,

विधायी आशय स्पष्ट है कि जब पक्षकार उप-धारा (7) के खंड (क) में उल्लिखित किसी भी पहलू पर इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं।

1996 के अधिनियम की धारा 31, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होगा और वह पक्षों के बीच एक समझौते से बाध्य होगा।

4 ( 1987 ) 1 एस. सी. सी. 424 दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो प्रेस प्राइवेट लिमिटेड v. दिल्ली मेट्रो रेल निगम [बी. आर. गवई, जे.]

23. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, कोई भी व्याख्या जो वाक्यांश का अनुवाद करेगी "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न हो" या अनावश्यक से बचना होगा। इस न्यायालय की संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा, जिनमें इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हरदिप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं।

इसका मतलब यह होगा कि इस तरह के प्रावधान को लागू करने में, विधायिका "व्यर्थ में एक अभ्यास" में शामिल थी और उत्पाद कानून के एक "उद्देश्यहीन टुकड़े" के रूप में आया था और यह कि प्रावधान किया गया था बिना
किसी उद्देश्य के अधिनियमित किया गया और इस तरह के प्रावधान को अधिनियमित करने की पूरी कवायद "अनुचित होने के अलावा सबसे अनुचित" थी। ( पटेल चुनीभाई दजिभा बनाम। नारायणराव खंडेराव

जांबेकर [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1457], मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम। कॉर्प. में से

कलकत्ता [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 529], एम. वी. एलिजाबेथ बनाम। हरवन

निवेश और व्यापार (पी) लिमिटेड [1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 433: ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1014], सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम चंद जैन [(1997) 1 एस. सी. सी. 373], बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड [(1997) 2 एस. सी. सी. 453 ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1511], इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

भारत का वी। प्राइस वाटरहाउस [(1997) 6 एस. सी. सी. 312] और दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी समिति। क्रेडिट सोसायटी के कर्मचारी '

यूनियन वी. सहकारी समिति के पंजीयक। समितियाँ [(1998) 2 एस. सी. सी. 580: 1998

एससीसी (एल एंड एस) 703: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 703]) "

24. यदि व्याख्या, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा रखी गई है-डी. ए. एम. ई. पी. एल. को स्वीकार किया जाना है, तो वाक्यांश "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न हो"

इसे "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" तक सीमित कर दिया जाएगा। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, ऐसी व्याख्या पूरी तरह से अस्वीकार्य होगी।

25. हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि ब्याज के भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यह होगा।

5 ( 2014 ) 3 एससीसी 92 [2022] 3 एस. सी. आर.

रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैः

" 29.8 समाप्ति भुगतानः समाप्ति भुगतान

इस समझौते के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा की जा रही मांग के तीस दिनों के भीतर वैधानिक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरणों के साथ डी. एम. आर. सी. द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को देय और देय हो जाएगा।

लेखा परीक्षक। यदि डी. एम. आर. सी. 30 (तीस) दिनों के भीतर पूर्ण समाप्ति भुगतान का वितरण करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि को ब्याज के साथ वितरित किया जाएगा।

एस. बी. आई. पी. एल. आर. की वार्षिक दर और इस अवधि के लिए दो प्रतिशत

" 9

ऐसी राशि पर विलम्ब।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 के अनुसार, समाप्ति भुगतान देय हो जाएगा।

और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा की जा रही मांग के तीस दिनों के भीतर डी. एम. आर. सी. द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को देय। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि डी. एम. आर. सी. 30 दिनों के भीतर पूर्ण समाप्ति भुगतान का वितरण करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि को एस. बी. आई. पी. एल. आर. की वार्षिक दर पर ब्याज के साथ वितरित किया जाएगा और ऐसी राशि पर देरी की अवधि के लिए दो प्रतिशत दिया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रियायत समझौते का अनुच्छेद 29.8 समाप्ति भुगतान राशि पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है।

27. मध्यस्थ न्यायाधिकरण रियायत का सही अर्थ निकाल रहा है

समझौते ने इस प्रकार निर्देश दिया हैः

" 129. इसलिए डी. ए. एम. ई. पी. एल. को समाप्ति भुगतान रु. तक काम करता है। 983.02 + रु. 1260.73 + रु. 538.58 करोड़

= रु. 2782.33 करोड़।

समाप्ति भुगतान पर ब्याज की दर के संबंध में,

सीए के अनुच्छेद 29.8 की शर्त एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत की वार्षिक दर पर है। हमने डी. ए. एम. ई. पी. एल. के वित्तीय दस्तावेजों से नोट किया है (सी. डी. 11 का पी. जी. 299-डी. एम. आर. सी. का पूरक जवाब दिनांक <आई. डी. 2 प्रत्यर्थी के जवाबी दावे के लिए) कि डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा लिया गया सुरक्षित ऋण रुपये के सावधि ऋण पर 12.75% की ब्याज दर रखता है और विदेशी मुद्रा ऋण के लिए 4.83% से 5.6% की सीमा में है। यद्यपि डी. ए. एम. ई. पी.

एल. द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की दरें एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत से कम हैं, हमारी राय है कि दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड V. को बदलना या बदलना न्यायाधिकरण की क्षमता से परे है।

या सी. ए. के प्रावधानों को संशोधित करें। इस प्रकार, हम निर्णय लेते हैं कि

समाप्ति भुगतान सीए के अनुच्छेद 29.8 के प्रावधानों और समाप्ति भुगतान पर ब्याज के अनुसार होगा।
7.8.2013 से जमा होगा (यानी 30 दिन बाद की तारीख)

डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा समाप्ति भुगतान की मांग 08.07.2013 ) . सीए के अनुच्छेद 29.9 के संदर्भ में, इस राशि का भुगतान डीएमआरसी द्वारा एस्क्रो को क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा।

खाता, जिसका विवरण काउंटर क्लेम के अनुलग्नक सीसी-4 में उपलब्ध है। हम उसी के अनुसार पुरस्कार देते हैं।

28. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि समाप्ति भुगतान रियायत के प्रावधानों के अनुसार होगा।

समझौता और समाप्ति भुगतान पर ब्याज 7 अगस्त, 2013 (यानी 8 जुलाई, 2013 को डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा समाप्ति भुगतान की मांग के 30 दिन बाद की तारीख) से जमा होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया है कि अपीलकर्ता-डीएएमईपीएल द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की दरें एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत से कम हैं, लेकिन यह देखा गया है कि रियायत समझौते के प्रावधानों को बदलना या बदलना या संशोधित करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता से परे था। इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एस. बी. आई. पी. एल. आर. + 2 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज प्रदान किया है, हालांकि उसने पाया था कि जिस ब्याज दर पर अपीलार्थी-डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा ऋण लिया गया था, वह निचले स्तर पर था। अतः मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ब्याज दर के संबंध में पक्षों के बीच विशिष्ट समझौते को उचित रूप से लागू किया है। हम पाते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार 1996 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के खंड (ए) में निहित प्रावधानों के अनुरूप और विशेष रूप से, "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश के अनुरूप पारित किया गया है।

29. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एस. ए. बोबडे और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे. के बहुमत निर्णय से। हैदर के मामले में

कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (ऊपर), यह प्रतीत होता है कि स्थिति, जहां ब्याज के भुगतान के बिंदु पर पक्षों के बीच एक समझौता था, उक्त मामले में विचार के लिए नहीं आया था।

30. हम भारत संघ और अन्य बनाम धनवंती के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

देवी और अन्य ", जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. ..... प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित होने के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्तियों की व्यापकता जो वहां पाई जा सकती है, का इरादा नहीं है

पूरे कानून की व्याख्या, लेकिन उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जानी हैं।

31. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित होने के लिए माना जाना चाहिए।

किसी निर्णय में पाई जाने वाली अभिव्यक्तियों की व्यापकता को पूरे कानून का स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता है। उन्हें उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य होना होगा जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जानी हैं।

32. क्षेत्रीय न्यायालय के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के निम्नलिखित अवलोकन का उल्लेख करना भी उचित होगा।

प्रबंधक और एक अन्य बनाम पवन कुमार दुबे ":

" 7. ..... यहां तक कि जहां कुछ संघर्ष प्रतीत होता है, हम सोचते हैं कि यह तब गायब हो जाएगा जब प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णय को सही ढंग से समझा जाएगा। यह कानून के अनुप्रयोग से लेकर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक अनुमानित नियम है जो इसके अनुपात का निर्धारण करता है न कि उन तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

33. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुपात निर्णय वह नियम है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून के अनुप्रयोग से घटाया जा सकता है।

जो इसके अनुपात का निर्धारण करता है न कि तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। यह माना गया है कि एक अतिरिक्त या अलग-अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकते हैं, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

34. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, हैदर परामर्श के मामले में

( यू. के.) लिमिटेड (ऊपर), ब्याज के भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं था और इस तरह, वाक्यांश "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न हो" उक्त मामले में विचार के लिए नहीं आता था। एक सावधानी के रूप में, हमने उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी देखा है जिससे हैदर के मामले में इस न्यायालय में अपील की गई थी

7 ( 1976 ) 3 एस. सी. सी. 334 दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो प्रेस प्राइवेट लिमिटेड v. दिल्ली मेट्रो रेल निगम [बी. आर. गवई, जे.]

कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (ऊपर)। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि ब्याज के भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। इस प्रकार, हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास इस वाक्यांश के महत्व पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था जब तक कि "पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो"।

35. इसलिए हमारा विचार है कि पक्षों के बीच विशिष्ट समझौते को देखते हुए, पुरस्कार की तारीख से पहले और पुरस्कार की तारीख के बाद भी ब्याज रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष 9 सितंबर, 2021 के फैसले और आदेश को देखते हुए अंतिम रूप से पहुंच गए हैं, जो इस न्यायालय द्वारा 2021 की सिविल अपील No.5627 [2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.4115 से उत्पन्न] में पारित किए गए हैं।

36. इसलिए हम दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।

10 मार्च, 2022 का निर्णय और आदेश निष्पादन याचिका में ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) के रूप में पारित किया गया। (सी. ओ. एम. एम.) 2021 की संख्या 145।

37. परिणामस्वरूप, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा। वहाँ

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन ( सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)